म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26– अरेरा हिल्स, किसान भवन जेल रोड, भोपाल

कमांक/मं.बो./भा.भु.यो./3877 भोपाल, दिनांक 9/05/2019

प्रति,

1. संयुक्त/उप संचालक (समस्त)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
ऑचलिक कार्यालय
.....

2. भारसाधक अधिकारी/सचिव (समस्त)
कृषि उपज मंडी समिति,
.....

विषयः–"मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना" के दिशा–निर्देश।

संदर्भः–प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का ज्ञाप कमांक एफ 6–1/2018/58 दिनांक 30 मार्च 2019

संदर्भित ज्ञाप द्वारा "मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना" जारी की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की प्याज हेतु अधिसूचित मंडियों में प्याज का मॉडल विकय दर रबी प्याज की फसल हेतु निर्धारित अवधि में रूपये 800/– प्रति क्विंटल से कम रहता है तब उक्त स्थिति में अधिसूचित मंडियों में कय मूल्य एवं समर्थन मूल्य (रूपये 800/– प्रति क्विंटल) के अन्तर की राशि पंजीकृत विकय करने वाले किसानों को योजना में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार एवं पात्रता की सीमा तक अन्तरित की जायेगी।

आयुक्त, उद्यानिकी एंव प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल के पत्र कमांक मु.प्याज.कृ.प्रो. यो/2019–20/02/3254 दिनांक 06.05.2019 द्वारा मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना वर्ष 2019–20 के लिये किसानों का पंजीयन दिनांक 15 मई 2019 से 31 मई 2019 तक किया जायेगा। यह पंजीयन उक्त योजना के लिये संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा प्याज के लिये अधिसूचित की जाने वाली कृषि उपज मंडी समितियों के स्तर पर किया जायेगा। पंजीयन की मंडियों में सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करी जाये। आयुक्त, उद्यानिकी एंव प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल द्वारा योजना के लिये अधिसूचित मंडी समितियों की सूची पृथक से जारी की जायेगी।

संदर्भित ज्ञाप के दिशा–निर्देश अनुसार किसान द्वारा मुख्यमंत्री प्याज प्रोत्साहन योजना के लिये ई–उपार्जन पोर्टल पर दी गई जानकारी को गिरदावरी में दर्ज फसल एवं रकबे से मिलान करके पंजीयन के लिये निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगीः–

(क) यदि किसान द्वारा फसल एवं रकबे की दी गई जानकारी गिरदावरी में दर्ज जानकारी से मिलान होता है तब किसान का पंजीयन करा लिया जावेगा।

9/5

(ख) यदि किसान द्वारा दी गई जानकारी में फसल की जानकारी सही पाई जाती है किन्तु रकबा गिरदावरी में दर्ज रकबे से कम है तब भी किसान का पंजीयन करा लिया जावेगा।

(ग) यदि किसान द्वारा पंजीयन के समय फसल एवं रकबे के संबंध में दी गई जानकारी का मिलान नहीं होता अथवा

(घ) फसल का मिलान होता है किन्तु किसान द्वारा बताया जा रहा रकबा गिरदावरी में दर्ज रकबे से अधिक हो तब ऐसी स्थिति में किसान की आपत्ति पोर्टल पर दर्ज की जावेगी।

2. योजना में हितग्राही की आर्हता अन्तर्गत मध्यप्रदेश के मूल निवासी, किसान के नाम पर स्वंय की जमीन (बी–1, बी–2 में नाम होने पर ही मान्य होगा। सिकमी/अनुबंध/लीज के आधार पर किराये पर ली गई जमीन के दस्तावेज मान्य नहीं होगें)।

3. उपरोक्तानुसार किसान से प्राप्त आपत्ति राजस्व विभाग को प्रेषित की जावेगी तथा राजस्व विभाग द्वारा आपत्ति प्राप्त किये जाने पर भौतिक सत्यापन कराया जावेगा। राजस्व अधिकारी द्वारा आपत्ति मान्य किये जाने पर किसान द्वारा बताये अनुसार फसल एवं रकबे का पंजीयन मान्य किया जावेगा, अन्यथा किसान की आपत्ति अमान्य की जावेगी।

4. फसल की प्रविष्टियों की गिरदावरी डाटा में आपत्ति होने पर कृषकों को समझाइश दी जाये कि वे सुधार करने के लिये तहसीलदार को आवेदन कर सकेंगे जिससे तहसीलदार भू–अभिलेखों में दावे–आपत्ति का निपटारा कर भू–अभिलेख (ऑनलाइन) अंतिम प्रविष्टि करा देवें।

5. दिनांक 15 मई 2019 से 31 मई 2019 तक किसानों का ई–उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराया जायेगा एवं पंजीकृत किसानों के स्थल का भौतिक सत्यापन राजस्व एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा।

6. दिनांक 01 जून 2019 से 30 जून 2019 तक प्रदेश में अधिसूचित मंडियों में रूपये 800/– प्रति क्विंटल से कम विक्रय मूल्य प्राप्त होने पर योजना अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि निर्धारित की जायेगी। प्याज का राज्य द्वारा घोषित समर्थन मूल्य वर्ष 2019–20 के लिये रूपये 800/– प्रति क्विंटल होगा।

7. कृषक को पोर्टल पर पंजीयन कराने पर प्राप्त पंजीयन कमांक की पर्ची तथा आधार कार्ड का प्रति मंडी समिति में विक्रय के समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

8. अधिसूचित मंडी प्रांगण में विक्रय की कार्यवाही सी.सी.टी.व्ही. कैमरे में दर्ज की जावेगी जहां सी.सी.टी.व्ही. कैमरे नहीं होंगे वहां मंडी समिति द्वारा विक्रय के समय उपस्थित किसान की फसल के साथ फोटो लिया जावेगा तथा इसे मंडी समिति में सुरक्षित रखा जावेगा।

9. कृषि उपज मंडी समिति के नामांकित कर्मचारी/अधिकारी के द्वारा नीलामी विक्रय उपरांत जारी किये जाने वाले अनुबंध पर्ची, तौल पर्ची एवं भुगतान पत्रक में किसान का पंजीयन कमांक को स्पष्ट रूप से उल्लेख कियाजावेगा। मंडी समिति उक्त अभिलेखों की मूल प्रतिलिपि पर किसान पंजीयन कमांक उल्लेखित कर सुरक्षित रखेगी।

9/5

10. कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा दैनिक जानकारी का संग्रहण कर पंजीयन के उपार्जन/भावांतर के पोर्टल पर उपलब्ध कालम में अनुबंध पर्ची, तौल पर्ची एवं भुगतान पत्रक की संबंधित जानकारी किसान के पंजीयन कमांक अनुसार सत्यापन कर अपलोड कराने का कार्य सुनिश्चित किया जावेगा।

11. सौदा पत्रक के माध्यम से विकय की गई प्याज योजना में मान्य नहीं होगी।

12. पंजीयकृत किसान द्वारा मंडी में प्याज के संव्यवहार पर कम से कम रूपये 10.000/– या विकय की राशि का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) का भुगतान आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ. टी. अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी द्वारा किसान के बैंक खाते में किया जाना अनिवार्य होगा।

13. पंजीकृत किसान के द्वारा नियत अवधि में कय–विकय के अभिलेखों का परीक्षण तथा सत्यापन कर प्रमाणित जानकारी पोर्टल पर अपलोड किये जाने की जिम्मेदारी कृषि उपज मंडी समिति के सचिव तथा संबंधित कर्मचारियों की होगी।

14. प्रत्येक अधिसूचित मंडी प्रांगण में योजना के पंजीकृत किसान द्वारा प्याज विकय पर योजना के प्रावधानों के अधीन लाभ प्राप्त होने संबंधी प्रमाण पत्र किसान को उपलब्ध कराया जावेगा।

15. योजना अन्तर्गत किसान अधिसूचित फसल को प्रदेश के किसी भी अधिसूचित मंडी/उपमंडी प्रांगण में विकय करने के लिये स्वतंत्र होगा।

16. जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला कियान्वयन समिति का गठन किया गया है जिसमें जिला मुख्यालय के मंडी सचिव सदस्य के रूप में शामिल है। उक्त समिति द्वारा योजना का परीक्षण, समीक्षा एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा।

17. गत वर्ष की प्याज की भावांतर योजना अन्तर्गत चयनित मंडी समितियों में ही इस वर्ष मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना के लिये अधिसूचित होने की संभावना है। गत वर्ष प्याज भावांतर के लिये निर्धारित मंडियों की सूची सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। इन मंडी समितियों में प्रश्नाधीन योजना के पंजीयन एवं विकय के लिये प्रारंभिक तैयारी सुनिश्चित करी जाये। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना के लिये चयनित मंडी समितियों की सूची निकट भविष्य में जारी की जायेगी।

18. उक्त योजना में पंजीयन एवं विकय संव्यवहारों की प्रविष्टियों के लिये शासन द्वारा निर्धारित संख्या के अनुसार मंडियों को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखने तथा उनके पारिश्रमिक भुगतान प्रकिया के संबंध में पृथक से दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे। तब तक उक्त कार्य मंडी में उपलब्ध मानव संसाधन से संपादित कराई जाये।

19. इस योजना की स्थानीय कृषकों/प्याज उत्पादको को जानकारी देने हेतु मंडी के पास उपलब्ध ध्वनि विस्तार यंत्र से मंडी प्रांगण में नियमित घोषणा कराई जाये। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रचार सामग्री/फलेक्स का मंडी प्रांगण में सहज दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शन भी सुनिश्चित करें।

20. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा इस योजना में किसानों के पंजीयन हेतु रजिस्ट्रेशन फार्म सहकारी समितियों और मंडी समितियों को प्रदाय किये जायेंगे। उक्त पंजीयन योजना में चयनित मंडियों में ही होने की संभावना है। यह रजिस्ट्रेशन फार्म योजना में चयनित मंडियों को किसानों द्वारा सीधे प्रदाय किये जायेंगे या सहकारी समितियों के माध्यम से प्राप्त होंगे अथवा दोनों व्यवस्था लागू रहेगी, इस विषय में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से जारी निर्देश पृथक से उपलब्ध कराये जायेंगे।

संदर्भित ज्ञाप दिनांक 30 मार्च 2019 से योजना के विस्तृत दिशा निर्देश की जानकारी हेतु छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

कमांक/वी.मु.यो./03/2019/3878 भोपाल, दिनांक 9/05/2019

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह अध्यक्ष मंडी बोर्ड, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. आयुक्त, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
7. कलेक्टर (समस्त) जिला .....
8. श्री ए.एन. सिद्दीकी, तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, भोपाल।

9/5

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी,

6 वीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, मध्य प्रदेश भोपाल,
दूरभाष क्रमांक–0755–2578491
ई–मेल ksyhorti@gmail.com

मु.प्याज.कृ.प्रो.यो./2019-20/02/ 3254 भोपाल, दिनांक 06/05/19

प्रति,

प्रबंध संचालक,
मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय:- **मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना वर्ष 2019-20 के क्रियान्वयन बावत।**

संदर्भ:- **मध्यप्रदेश शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, के पत्र क्रमांक एफ 6-1/2018/58 भोपाल, दिनांक 30.03.2019**

—ooo—

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अवलोकन करने का अनुरोध है। योजनान्तर्गत संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक 1.9 अनुसार 15 मई से 31 मई तक किसानों का ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराया जाना है।

अतः पंजीयन की कार्यवाही हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग से समन्वय कर पंजीयन की कार्यवाही करें।

संलग्न :- संदर्भित पत्र

आयुक्त,
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृक्र./मु.प्याज.कृ.प्रो.यो./2019-20/02/ 3255 भोपाल, दिनांक 06/05/19

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक अपर मुख्य सचिव, सह कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म.प्र. शासन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, म.प्र. शासन भोपाल।

आयुक्त,
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी,
मध्य प्रदेश भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 6-1/2018/58 भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2019

प्रति,

1. समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश

विषयः- "मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना" के दिशा निर्देश।

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के किसानों को प्याज का उचित मूल्य दिलाने हेतु उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6-1/2018/58 भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 के द्वारा "मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना" लागू की गई है।

इस योजना के घटक (ब) में योजना के घटक (अ) अनुसार हस्तक्षेप के बावजूद, प्रदेश की प्याज हेतु अधिसूचित मंडियों में प्याज का मोडल विक्रय दर रबी प्याज की फसल हेतु निर्धारित अवधि में रू.800/- प्रति क्विण्टल से कम रहता है तब उक्त स्थिति में अधिसूचित मंडियों में क्रय मूल्य एवं समर्थन मूल्य (रू.800/- प्रति क्विण्टल) के अंतर की राशि ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के द्वारा विक्रय करने वाले किसानों के बैंक खातों में सीधे अंतरित की जायेगी।

इस घटक-ब के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार है:-

1/ "मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना" के विभिन्न घटक निम्नानुसार होंगे:-

1.1.1 योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों द्वारा ई-उपार्जन पोर्टल पर प्याज के रोपित रकबे की जानकारी दर्ज करते हुये योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन किया जावेगा।

1.1.2 राजस्व विभाग द्वारा रबी 2018-19 की गिरदावरी के आधार पर किसानों द्वारा रोपित प्याज के रकबे की जानकारी ई-उपार्जन पोर्टल के संधारित आयुक्त, खाद्य को दी जावेगी।

1.1.3 किसान द्वारा मुख्य प्याज प्रोत्साहन योजना के लिये ई-उपार्जन पोर्टल पर दी गई जानकारी को गिरदावरी में दर्ज फसल एवं रकबे से मिलान करके निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी:-

क) यदि किसान द्वारा फसल एवं रकबे की जानकारी दी गई जानकारी गिरदावरी में दर्ज जानकारी से मिलान होता है तब किसान का पंजीयन करा लिया जावेगा।

ख) यदि किसान द्वारा दी गई जानकारी में फसल की जानकारी सही पाई जाती है किन्तु रकबा गिरदावरी में दर्ज रकबे से कम है तब भी किसान का पंजीयन करा लिया जावेगा।

ग) यदि किसान द्वारा पंजीयन के समय फसल एवं रकबे के संबंध में दी गई जानकारी का मिलान नहीं होता अथवा

घ) फसल का मिलाने होता है किन्तु किसान द्वारा बताया जा रहा रकबा गिरदावरी में दर्ज रकबे से अधिक हो तब ऐसी स्थिति में किसान की आपत्ति पोर्टल पर दर्ज की जावेगी।

1.1.4 उपरोक्तानुसार किसान से प्राप्त आपत्ति राजस्व विभाग को प्रेषित की जावेगी तथा राजस्व विभाग द्वारा आपत्ति प्राप्त किये जाने पर भौतिक सत्यापन कराया जावेगा। राजस्व अधिकारी द्वारा आपत्ति मान्य किये जाने पर किसान द्वारा बताये अनुसार फसल एवं रकबे का पंजीयन मान्य किया जावेगा, अन्यथा किसान की आपत्ति अमान्य की जावेगी।

1.2 राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित गिरदावरी प्रक्रिया अनुसार भु-अभिलेख का गिरदावरी रिकार्ड पंजीयन का आधार होगा।

1.3 फसल की प्रविष्टियों की गिरदावरी डाटा में आपत्ति होने पर कृषकों को समझाइश दी जाये कि वे सुधार करने के लिए तहसीलदार को आवेदन कर

सकेंगे जिससे तहसीलदार भु-अभिलेखों में दावे-आपत्ति का निपटारा कर भु-अभिलेख (ऑनलाइन) अंतिम प्रविष्टि कर देवें।

1.4 'ई-उपार्जन' द्वारा व्यवस्था बनाई जावेगी कि वे 'गिरदावरी' से real time sharing व्यवस्था बनावें जिससे राजस्व विभाग को जानकारी में विसंगति होने से स्वमेंव परिक्षण एवं सत्यापन करने में सुविधा हो।

1.5 गिरदावरी एप में राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक अंतिम किए गए आंकड़े सत्यापन का आधार होंगे। कृषक का उपार्जन डाटा अंतिम एवं सूचित करने हेतु data reconciliation आयुक्त, भु-अभिलेख एवं संचालक, खाद्य द्वारा आपसी विमर्श कर अंतिम किया जाएगा, तथा निर्धारित तिथि को ई-गिरदावरी की प्रविष्टियां अंतिम सूचि मानी जावेगी, एवं यही जानकारी ई-उपार्जन के लिए भी मान्य होगी।

1.6 राज्य स्तर पर 'ई-उपार्जन' से पंजीयत कृषक/खसरों की जानकारी का मिलान भु-अभिलेख डाटा से किया जावेगा। मिलान के अनुसार वह जानकारी अंतिम की जावेगी, जिसमें बोई फसल का रकबा अधिकतम गिरदावरी साफ्टवेयर के अनुसार तक हो सकेगा।

1.7 पंजीयन समाप्त होने के उपरांत sms के माध्यम से कृषक को उनके पंजीयन, उपार्जन केन्द्र एवं विक्रय तिथि बावत् सूचित किया जावेगा। जिसकी पावती पंजीयन केन्द्र से प्राप्त की जा सकेगी।

1.8 योजना का लाभ केवल मंडी में हुए संव्यवहारों पर ही होगा। वर्तमान में प्याज विक्रय मंडी अधिनियम के दायरे में शामिल नहीं होने से मंडी प्रांगण में बेचने की बाध्यता नहीं है। अतः केवल प्याज के लिए मंडी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर चिन्हित मंडियों में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में प्याज का विक्रय मंडी प्रांगण के अंदर किया जाना बंधनकारी बनाया जाएगा। मंडी बोर्ड व्दारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्याज की घोष विक्रय नीलामी चिन्हित मंडियों में नियमित रूप से हो। प्याज नश्वर प्रकृति का होने से और मंडी में विक्रय की अनिवार्यता लम्बे

समय बाद पुनः लागू करने से प्याज पर लिए जाने वाला मंडी टैक्स 2% की जगह 1% ही रखा जाए।

1.9 15 मई से 31 मई तक किसानों का ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराया जायेगा। एवं पंजीकृत किसानों के स्थल का भौतिक सत्यापन राजस्व एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा।

1.10 01 जून से 30 जून तक पूरे प्रदेश की अधिसूचित मंडियों में रूपये 800/- प्रति क्विण्टल से कम विक्रय मूल्य प्राप्त होने पर योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि निर्धारित की जायेगी।

1.11 प्याज का राज्य द्वारा घोषित समर्थन मूल्य वर्ष 2019-20 के लिए रू.800/- प्रति क्विंटल होगा।

2/ **योजना में हितग्राही की अहर्ताएं निम्नानुसार होंगी:-**

2.1 मध्य प्रदेश के मूल निवासी, किसान के नाम पर स्वयं की जमीन (बी-1, बी-2 में नाम होने पर ही मान्य होगा। सिकमी/अनुबंध/लीज के आधार पर किराये पर ली गई जमीन के दस्तावेज मान्य नहीं होंगे।) होने के साथ संबंधित लाभार्थी को उपार्जन अथवा भावांतर के पोर्टल पर वांछित जानकारी के साथ पंजीयन कराना अनिवार्य है।

2.2 योजना का लाभ 250 क्विण्टल प्रति हेक्टेयर की औसत उत्पादकता के आधार पर उत्पादन की सीमा तथा उत्पादन का रकबा अधिकतम 2.00 हेक्टेयर या जो भी कम हो तक प्रति कृषक ही अंतर की राशि देय होगा।

2.3 योजना का लाभ मध्यप्रदेश राज्य की सीमा में अधिसूचित मण्डी परिसर में राज्य में उत्पादित प्याज के विक्रय पर ही देय होगा।

2.4 राज्य शासन के द्वारा योजना का लाभ प्रदान करने हेतु प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगणों को अधिसूचित किया जायेगी एवं इसकी जानकारी सर्वसाधारण को प्रदान की जायेगी।

2.5 निर्धारित कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में मंडी समिति के द्वारा उप विधियों के प्रावधान के अनुसार विधिवत् विक्रय संपन्न कराया जावेगा।

2.6 कृषक को पोर्टल पर पंजीयन कराने पर प्राप्त पंजीयन क्रमांक की पर्ची तथा आधार कार्ड की प्रति मण्डी समिति में विक्रय के समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

2.7 अधिसूचित प्रांगण में विक्रय की कार्यवाही CCTV कैमरे में दर्ज की जावेगी। जहाँ CCTV कैमरे नहीं होंगे वहाँ मण्डी समिति द्वारा विक्रय के समय उपस्थित किसान की फसल के साथ फोटो लिया जावेगा तथा इसे मण्डी समिति में सुरक्षित रखा जावेगा।

2.8 कृषि उपज मंडी समिति के नामांकित कर्मचारी/अधिकारी के द्वारा नीलामी विक्रय उपरान्त जारी किये जाने वाले अनुबंध पर्ची, तौल पर्ची एवं भुगतान पत्रक में किसान का पंजीयन क्रमांक को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जावेगा। मण्डी समिति उक्त अभिलेखों की मूल प्रतिलिपि पर किसान पंजीयन क्रमांक उल्लेखित कर सुरक्षित रखेगी।

2.9 कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा दैनिक जानकारी का संग्रहण कर पंजीयन के उपार्जन/भावांतर के पोर्टल पर उपलब्ध कालम में अनुबंध पर्ची, तौल पर्ची एवं भुगतान पत्रक की सम्बंधित जानकारी किसान के पंजीयन क्रमांक अनुसार सत्यापन कर अपलोड कराने का कार्य सुनिश्चित किया जावेगा।

2.10 सौदा पत्रक के माध्यम से विक्रय की गई प्याज योजना में मान्य नहीं होगी।

2.11 पंजीकृत किसान द्वारा मण्डी में प्याज के संव्यवहार पर कम से कम रूपये 10,000/- या विक्रय की राशि का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) का भुगतान RTGS/NEFT अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी द्वारा किसान के बैंक खाते में किया जाना अनिवार्य होगा।

2.12 पंजीकृत किसान के द्वारा नियत अवधि में क्रय-विक्रय के अभिलेखों का परीक्षण तथा सत्यापन कर प्रमाणित जानकारी पोर्टल पर अपलोड किये जाने की जिम्मेदारी कृषि उपज मंडी समिति के सचिव तथा संबंधित कर्मचारियों की होगी।

2.13 प्रत्येक अधिसूचित मंडी प्रांगण में योजना के पंजीकृत किसान द्वारा प्याज विक्रय पर योजना के प्रावधानों के अधीन लाभ प्राप्त होने सम्बंधी प्रमाण पत्र किसान को उपलब्ध कराया जावेगा।

2.14 योजनान्तर्गत किसान अधिसूचित फसल को प्रदेश की किसी भी अधिसूचित मण्डी/उपमण्डी/प्रांगण में विक्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

3/ योजना के क्रियान्वयन के लिये जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार जिला क्रियान्वयन समिति का गठन किया जायेगा:-

क्रमांक	क्रियान्वयन समिति के अधिकारी	पदाधिकारी
1	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2	उप/सहायक संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी	सदस्य सचिव
3	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
4	अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व)	सदस्य
5	उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें	सदस्य
6	जिला खाद्य अधिकारी	सदस्य
7	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	सदस्य
8	जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम	सदस्य
9	जिला प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ	सदस्य
10	जिला मुख्यालय का मण्डी सचिव	सदस्य
11	जिला लीड बैंक अधिकारी	सदस्य

उक्त समिति के मार्गदर्शन में प्रत्येक लाभांवित किसान के पंजीयन के समय दर्ज बैंक खाता क्रमांक की सूची पर मैदानी अमले के सत्यापन की गहन समीक्षा की जायेगी। योजना के तहत प्याज के लिये प्राप्त आवंटन जिला कोषालय से RTGS/NEFT के माध्यम से लाभांवित किसानों के सत्यापित किये गये बैंक खातों में योजना के प्रावधान अनुसार राशि जमा करायी जाने की भी उक्त समिति द्वारा गहन परीक्षण, समीक्षा एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा। पात्र पंजीकृत किसानों को सत्यापित बैंक खाते में भुगतान असफल हो जाने पर या बैंक खातों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में उक्त समिति स्थानीय जांच कराने तथा जांच उपरांत 15 दिवस में निर्णय कर

संबंधित हितग्राही किसान के नवीन प्रमाणीकृत बैंक खातों में योजना के प्रावधानों के अनुसार राशि प्रदाय करने हेतु अधिकृत होगी।

4/ जिले के लीड बैंक के अधिकारी RTGS/NEFT के माध्यम से प्रदाय राशि समस्त लाभांवित किसानों के बैंक खाते में पहुंचने की पुष्टि की जानकारी संबंधित बैंक शाखाओं से प्राप्त करेंगे। पंजीकृत किसानों के द्वारा पोर्टल पर दर्ज कराये गये मोबाईल नंबर पर योजनांतर्गत जमा कराई गई प्रोत्साहन राशि का SMS लाभांवित किसानों को आवश्यक रूप से भेजा जायेगा। बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि प्रदाय हो जाने के बाद जिला कलेक्टर द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल को प्रेषित किया जायेगा।

5/ पंजीकृत किसानों द्वारा अधिसूचित मंडियों में विक्रय किये गये प्याज की मात्रा को पात्रता की सीमा तक गणना कर किसानवार प्रोत्साहन राशि का पृथक डाटाबेस तैयार किया जायेगा जिसके आधार पर आयुक्त सह संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी से योजनांतर्गत आवंटन हेतु मांग पत्र संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा प्रेषित किया जायेगा तथा उसकी प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं प्रबंध संचालक, राज्य कृषि विपणन बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेगी। आयुक्त सह संचालक उद्यानिकी द्वारा मांग पत्र अनुसार आवंटन जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान को जारी करेंगे। प्राप्त आवंटन में से उक्तानुसार गणना की गई राशि लाभांवित पंजीकृत किसान के सत्यापित एवं पूष्टि कराये गये बैंक खाते में जमा कराई जायेगी। उप/सहायक संचालक उद्यान प्राप्त आवंटन का उपयोग जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित क्रियान्वयन समिति के द्वारा प्रस्ताव पारित किये जाने के उपरांत ही लाभांवित किसानों के बैंक खातों में भुगतान किया जावेगा।

6/ प्याज भावांतर योजनान्तर्गत देय राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगीः-

6.1 प्रदेश की प्याज हेतु अधिसूचित मंडियों में प्याज का मोडल विक्रय दर रबी प्याज की फसल हेतु निर्धारित अवधि में रू.800/- प्रति क्विण्टल से कम रहता है, तब उक्त स्थिति में अधिसूचित मंडियों में क्रय मूल्य एवं समर्थन मूल्य रू.800/- प्रति क्विण्टल के अंतर की राशि ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के द्वारा विक्रय करने वाले किसानों के बैंक खातों में सीधे अंतरित की जायेगी।

6.2 योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर व्यय, RTGS/NEFT से भुगतान पर व्यय, मोबाईल SMS पर व्यय, योजना क्रियान्वयन हेतु ऑपरेटर्स को देय मानदेय, योजना के प्रमाण पत्र मुद्रण पर व्यय, प्रमाण-पत्र वितरण हेतु किसान सम्मेलन आदि पर व्यय हेतु प्रस्तावित योजना में व्यय की जा रही राशि के 2 प्रतिशत राशि प्रशासकीय व्यय मद से की जायेगी। प्रशासनिक व्यय की राशि प्रशासकीय अनुमोदन से उपरोक्त प्रयोजनों हेतु व्यय की जा सकेगी।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 6-1/2018/58 भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2019

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्रीजी, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग।
3. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विग, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास/ सहकारिता/खाद्य एवं नागरिक उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल।
7. आयुक्त सह संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम/मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउस कार्पोरेशन/मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड/मध्यप्रदेश सहकारी विपणन भोपाल।
9. संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग।
10. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान मध्यप्रदेश।
11. गार्ड फाइल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग